

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में
राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

Quarterly Progress Report Regarding Progressive Use of Official Language Hindi in Ministries/
Departments/Attached/ Subordinate Offices/PSUs/Autonomous Bodies etc. of Central Government

01 जुलाई, 2018 से 30 सितंबर, 2018 तक की तिमाही हेतु

भाग Part - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए To be furnished at the end of each quarter)

कार्यालय का नाम और पूरा पता

Name and full postal address of the Office

संबंधित का राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस्.टी.डी कोड _____ फोन नं. _____ ई-मेल _____
Phone No. of the concerned Official Language Officer. STD Code _____ Tel. No. _____ E-mail _____

01. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात*
Documents* issued under section 3(3) of Official Languages Act, 1963

(क) जारी कागजात की कुल संख्या Total no. of documents issued

(ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या Total No. of documents issued bilingually

(ग) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात No. of documents issued only in English

* इनमें सामान्य आदेश, जापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस तथा संसदीय प्रश्न इत्यादि शामिल हैं।
* This include General Orders, Memorandums, Resolutions, Notifications, Rules, Agreements, Contracts, Tender Notices, Parliament Questions etc.

02. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5)

Letters received in Hindi (Official Languages Rule-5)

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या Total no. of letters received in Hindi

(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए Out of these, No. of letters replied in Hindi

(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए Total No. of letters replied in English

(घ) इनमें से कितने पत्रों के उत्तर दिये जाने अपेक्षित नहीं थे No. of letters were not required to be replied

03. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कार्यालयों हेतु)
No. of letters received in English but replied in Hindi (Applicable to central offices located in 'A' & 'B' region)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या No. of letters received in English	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए Letters replied in Hindi	कितने पत्रों के उत्तर दिये जाने अपेक्षित नहीं थे No. of letters not expected to be replied
'क' क्षेत्र से From region 'A'			
'ख' क्षेत्र से From region 'B'			

04. भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा Details of total letters issued

	हिंदी/द्विभाषी में In Hindi/ Bilingual	केवल अंग्रेजी में English only	भेजे गए पत्रों की कुल सं. Total No. of letters issued	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत %age of letters issued in Hindi/Bilingual
'क' क्षेत्र को To Region 'A'				
'ख' क्षेत्र को To Region 'B' &				
'ग' क्षेत्र को To Region 'C'				

* बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।

६ गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

॥ 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य।



दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कक्षा सं : 104, प्रथम तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1225)
Room No.: 104, 1st Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1225)

फा. सं.: आरबीसी/034/ति.रि.(02)/2018/ 20170-204/9

दिनांक: 24/09/2018

विषय: हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही (01 जुलाई, 2018 से 30 सितंबर, 2018 तक)
प्रगति रिपोर्ट संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही (01 जुलाई, 2018 से 30 सितंबर, 2018 तक) हेतु हिंदी के प्रयोग प्रयोग से संबंधित रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी जानी है। इस रिपोर्ट से संबंधित संलग्न प्रपत्र सभी विभागों/अनुभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अतः सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रपत्र में अपेक्षित सूचनाएं भरकर अधोहस्ताक्षरी को दि. 04-10-2018 तक अवश्य प्रेषित करें, ताकि समेकित रिपोर्ट 08 अक्टूबर, 2018 तक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी जा सके। यदि तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने संबंधी किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो राजभाषा अनुभाग में दूरभाष संख्या: 27666269 या एक्सटेंशन नं.1225 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

संलग्नक : यथोपरि

आनंद क. सोनी
24/09/2018
(आनंद कुमार सोनी)
सहायक कुलसचिव (राजभाषा)

प्रति: सभी विभाग, केंद्र एवं अनुभाग/कार्यालय प्रमुख

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में
राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

Quarterly Progress Report Regarding Progressive Use of Official Language Hindi in Ministries/
Departments/Attached/ Subordinate Offices/PSUs/Autonomous Bodies etc. of Central Government

01 जुलाई, 2018 से 30 सितंबर, 2018 तक की तिमाही हेतु

भाग Part - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए To be furnished at the end of each quarter)

कार्यालय का नाम और पूरा पता

Name and full postal address of the Office

संबंधित का राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस्.टी.डी कोड _____ फोन नं. _____ ई-मेल _____
Phone No. of the concerned Official Language Officer. STD Code _____ Tel. No. _____ E-mail _____

01. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात*
Documents* issued under section 3(3) of Official Languages Act, 1963

(क) जारी कागजात की कुल संख्या Total no. of documents issued

(ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या Total No. of documents issued bilingually

(ग) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात No. of documents issued only in English

* इनमें सामान्य आदेश, जापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस तथा संसदीय प्रश्न इत्यादि शामिल हैं।
* This include General Orders, Memorandums, Resolutions, Notifications, Rules, Agreements, Contracts, Tender Notices, Parliament Questions etc.

02. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5)

Letters received in Hindi (Official Languages Rule-5)

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या Total no. of letters received in Hindi

(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए Out of these, No. of letters replied in Hindi

(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए Total No. of letters replied in English

(घ) इनमें से कितने पत्रों के उत्तर दिये जाने अपेक्षित नहीं थे No. of letters were not required to be replied

03. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कार्यालयों हेतु)
No. of letters received in English but replied in Hindi (Applicable to central offices located in 'A' & 'B' region)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या No. of letters received in English	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए Letters replied in Hindi	कितने पत्रों के उत्तर दिये जाने अपेक्षित नहीं थे No. of letters not expected to be replied
'क' क्षेत्र से From region 'A'			
'ख' क्षेत्र से From region 'B'			

04. भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा Details of total letters issued

	हिंदी/द्विभाषी में In Hindi/ Bilingual	केवल अंग्रेजी में English only	भेजे गए पत्रों की कुल सं. Total No. of letters issued	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत %age of letters issued in Hindi/Bilingual
'क' क्षेत्र को To Region 'A'				
'ख' क्षेत्र को To Region 'B' &				
'ग' क्षेत्र को To Region 'C'				

* बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।

& गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

'क' तथा 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य।